भारतीय जनता पार्टी, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

बजकुमार नागवंशी
जिला उपाध्यक्ष
अनु.सूचित जाति मोर्चा
जिला छिंदवाड़ा म.प्र.

पता – ग्राम तुमड़ी
पोस्ट – उरधन, तह. परासिया,
वि.खं. परासिया, जिला छिंदवाड़ा
मो. 9993303188

क्रं. दिनॉक

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी,

मध्यपदेश शासन भोपाल

विषय – शानू ओटो मोबाईल्स के संचालक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के विषय में।

महोदय जी,

सविनय निवेदन है कि कुशल रहते हुए कुशलता की कामना करता हूँ। मेरे द्वारा **शानू** ओटो मोबाईल्स, जिसने मेरे साथ कपट एवं धोखा-धड़ी की है, इसकी शिकायत मैंने थाने में एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष किया है, लेकिन आज दिनांक तक मेरी शिकायत पर पुलिस **द्वारा शानू** ओटो मोबाईल्स के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी कारण से मुझे विवश होकर आपके समक्ष निवेदन करना पड़ रहा है।

महोदय जी, मूलतः मैं कृषक हूँ एवं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, और **शानू** ओटो मोबाईल्स का संचालक बहुत ही शातिर किस्म का धोखा-धड़ी करने वाला है, जबकि पुलिस ने मेरी शिकायत पर आज दिनांक तक **शानू** ओटो मोबाईल्स के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है।

अतः आपसे निवेदन है कि **शानू** ओटो मोबाईल्स के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की अनुशंसा करने की कृपा करें, ताकि न्यायोचित रूप से मुझे न्याय मिल सके।

बजकुमार

बजकुमार नागवंशी
जिला उपाध्यक्ष
अनु.सूचित जाति मोर्चा
जिला छिंदवाड़ा म.प्र.

पंजीयत पत्र अभिस्वीकृति सहित

प्रति,

1. श्रीमान पुलिस महानिर्देशक महोदय,
   पुलिस मुख्यालय भोपाल

2. श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय,
   पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, जबलपुर

3. श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक महोदय,
   पुलिस मुख्यालय भोपाल

4. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
   पुलिस अधीक्षक कार्यालय छिन्दवाड़ा

5. श्रीमान डी0एस0पी0 महोदय,
   हरिजन कल्याण थाना, पुलिस लाईन छिन्दवाड़ा

विषय :— जतिन अरोरा ने मेरे साथ छलकपट कर धोखाधड़ी की है एवं मेरे स्वामित्व का ट्रेक्टर जो कि, मैंने महिन्द्रा स्वराज ट्रेक्टर से ऋण लेकर स्वीकृत कराया था उक्त ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जानबूझकर नहीं बनाया और उक्त मेरे स्वामित्व का ट्रेक्टर गायब करके किसी को विक्रय कर दिया है, जतिन अरोरा के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम एवं धोखाधड़ी एवं छलकपट का प्रकरण दर्ज करने के विषय में।

संदर्भ :— दिनांक—20/11/2024 को प्रेषित की गई शिकायत के संदर्भ में आज दिनांक तक कोई कार्यवाहीं संस्थित नहीं हुई उसी के संदर्भ में।

महोदय जी,

—02—

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत निवेदन है कि, मैं ब्रजकुमार नागवंशी उम्र 30 वर्ष पिता श्री द्वारका नागवंशी निवासी– ग्राम तुमड़ी उरधन तह0 परासिया जिला छिन्दवाड़ा का निवासी हूँ, मैंने एल0एन0टी0 फायनेंस लिमिटेड से 4,22,000/– (चार लाख बाईस हजार) रूपये का ऋण लेकर महिन्द्रा स्वराज ट्रेक्टर फायनेंस कराया एवं नगद 60,000/– (साठ हजार रूपये) भुगतान किये थे, उक्त ट्रेक्टर मैंने वर्ष 2017 में लिया था, एवं एक किश्त अदा ना करने पर उक्त ट्रेक्टर मैंने मेहतर नागवंशी निवासी–झिरपानी से लिया था और मेरा जतिन अरोरा से कोई सरोकार नहीं है, उक्त चैक मैंने एल0एन0टी0 फायनेंस को जो कोरे चैक दिये थे, उक्त चैक जतिन अरोरा ने प्राप्त करके मेरे साथ छलकपट कर लिया है जो मैंने स्वराज ट्रेक्टर लिया है जिसका चैचिस नं0–WYTM 3040 5141539 एवं इंजन नं0– 39 1354/SWL 15012 है, उक्त वाहन के लिए मुझसे परिवहन शुल्क 25,000/– रूपये नगद लिये थे और उक्त वाहन मुझसे एक किश्त अदा ना करने पर मुझसे वह छीनकर गुंडागर्दी करके लेकर चले गये जबकि मैंने कभी भी जतिन अरोरा से कोई सौदा नहीं किया उसके बाबजूद भी जतिन अरोरा ने छलकपट कर एवं धोखाधड़ी करने की नियत से शानू ऑटोमोबाईल्स के नाम से चैक 1,34,422/– (एक लाख चौतिस हजार चार सौ बाईस रूपये) का लगा दिया है, जबकि मैं दिनांक– 19/11/2024 को शानू ऑटोमोबाईल्स अपना ट्रेक्टर मांगने गया और कहा कि, मात्र कुछ ही पैसे देने है लेकिन जतिन अरोरा ने मेरा ट्रेक्टर मुझसे बिना सहमति के अन्य किसी को बिक्री कर दिया है, एवं 1,34,000/– (एक लाख चौतिस हजार रूपये) का झूठा केस भी लगा दिया है, जबकि मैंने उक्त ट्रेक्टर झिरपानी के मेहतर नागवंशी से खरीदा है, जतिन अरोरा ने मेरे स्वामित्व के ट्रेक्टर के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अन्य किसी को नया ट्रेक्टर बताकर बेच दिया है, और मैंने उक्त ट्रेक्टर के दस्तावेज मांगे तो वह मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर धमकी दे रहा है जिसकी वजह से मैं अत्याधिक भयभीत हो गया हूँ और मेरी जान को अत्याधिक खतरा है।

मैं अनुसूचित जाति का हूँ और जतिन अरोरा सामान्य वर्ग से आता है जिसने मेरी जाति का फायदा उठाकर मेरा आर्थिक एवं शारीरिक शोषण कर मुझसे धोखाधड़ी कर छलकपट किया है एवं मेरे नाम से परिवहन विभाग में कोई पंजीयन ना होने की वजह से उक्त मेरे पुराने ट्रेक्टर को अन्य किसी को बिक्री कर दिया है, मैंने अपने स्तर पर मेरा एक ट्रेक्टर स्वराज 735 का आसपास पता किया एवं परिचितों से पूछताछ किया उसकी जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहीं है और जतिन आरोरा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मुझे क्षति पहुँचाकर मुझसे जबरदस्ती 1,34,422/– रूपये का झूठा चैक का केस लगाकर दबाव बना रहा है, उक्त ट्रेक्टर की आर0सी0 पर आकर हस्ताक्षर करो तभी केस वापिस लूँगा इस प्रकार से मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है।

अतः माननीय महोदय जी से प्रार्थना है कि, जतिन अरोरा ने मेरे साथ छलकपट कर धोखाधड़ी है एवं मुझे जातिगत रूप से अपमानित कर अभद्रता करके मेरा आर्थिक शोषण कर मेरे स्वामित्व के ट्रेक्टर अन्य किसी को बेच दिया है मैं चाहता हूँ कि, जतिन अरोरा के विरूद्ध छलकपट एवं धोखाधड़ी का अपराध कायम कर एवं अनुसूचित जाति के अन्तर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कृपा करें।

छिन्दवाड़ा

दिनांक :–23/04/2025

ब्रजकुमार

आवेदक

ब्रजकुमार नागवंशी पिता द्वारका नागवंशी,
निवासी– ग्राम तुमड़ी तह0 परासिया
जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0)
मो0नं0– 9993303188

।। प्रेस नोट ।।

ट्रेक्टर विक्रेता और प्राइवेट फाइनेंस कंपनी की लूटपाट से प्रताड़ित हो रहे : किसान

निर्दोष किसानों पर चल रहे झूठे चैक बाउंस के केस

छिंदवाड़ा :- इस जिले में किसानों के साथ ट्रेक्टर विक्रेता एंव निजी प्राइवेट कंपनिया ट्रेक्टर देने के नाम पर आर्थिक शोषण कर रही हैं, जिसकी वजह से कई किसान इनके चुंगल में फंस कर प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसा ही मामला ग्राम तुमड़ी के किसान ब्रज नागवंशी के साथ हुआ है, उन्होंने एल. एण्ड टी. फाइनेंस कंपनी से ट्रेक्टर फाइनेंस करवाया, और उक्त ट्रेक्टर शानू ऑटो मोबाइल्स डीलर से लिया, ट्रेक्टर के डीलर ने ब्रज कुमार नागवंशी से सम्पूर्ण राशी लेने के बाद भी महिन्द्रा स्वराज ट्रेक्टर कंपनी के ट्रेक्टर का पंजीयन शुल्क लेने के बाद भी उसका जानबूझकर पंजीयन नही कराया और ब्रज कुमार नागवंशी के कोरे चैको का दुरूपयोग कर 1,34,000/- रूपये का झूठा केस लगा दिया जिसको लेकर ब्रज कुमार नागवंशी ने शानू ऑटो मोबाइल्स एंव एल. एण्ड टी. फाइनेंस कंपनी द्वारा जो छल कपट कर धोखा धड़ी की जा रही है, जिसको लेकर दि० 20/11/24 को पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा एंव हारेजन कल्याण थाना में धोखा धड़ी की शिकायत की उक्त ट्रेक्टर जिसकी सम्पूर्ण किश्त अदा होने के बाद भी ब्रज कुमार नागवंशी को ट्रेक्टर नही दिया जिसको लेकर ब्रज कुमार नागवंशी ने बताया कि उक्त ट्रेक्टर जो कि लगभग 4-5 लोगो को दिया जा चुका है, एंव ऐसे भी उक्त ट्रेक्टर छुड़ाकर फाइनेंस कंपनी, एंव ट्रेक्टर विक्रेता ने आपस में सांठ गांठ कर न्यायालय में निर्दोष किसानों के कोरे चेको का दुरूपयोग कर मनमानी राशी भरके झूठे केस चलाये जा रहे हैं, इन सब बातो की जानकारी ब्रज कुमार नागवंशी के अधिवक्ता श्री अनुपम गढ़ेवाल ने उक्त जानकारी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विजिलेंस जज को शिकायत में बताया कि छिंदवाड़ा जिले की निचली अदालतो में लगभग ट्रेक्टर विक्रेता एंव प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के अपराधिक कृत्यों को उजागर किया है, जिसमे लगभग जिले की अदालतो में ट्रेक्टर एंव फाइनेंस कंपनी मिल कर किसानों पर 800-1500 प्रकरण झूठे तरीके से चलाये जा रहे हैं, इस में पुलिस के समक्ष शिकायत होने के बावजूद भी पुलिस अपराधिक मामले कायम नही करती सिर्फ जांच के नाम पर शिकायतकर्ता को ही प्रताड़ित करती है, अधिवक्ता अनुपम गढ़ेवाल ने बताया कि, क्योंकि ट्रेक्टर के विक्रेता जब न्यायालय में चैक बाउंस के प्रकरण प्रस्तुत करते हैं, तो उसमे चेचिस नं०, इंजिन नं. जानबूझकर नही डालते हैं, और ऐसा ही एक ट्रेक्टर के नाम पर 5-6 किसानो के कोरे चैंको का फायदा लेकर झूठे केस चलाते हैं, अगर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी एंव ट्रेक्टर विक्रेताओ की जांच होगी तो कई करोड़ो का खेल ये दोनो मिलकर न्यायालय के माध्यम से कर रहे हैं। अधिवक्ता अनुपम गढ़ेवाल ने मुख्य न्यायाधीश जबलपुर एंव रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिख कर जानकारी दी है, कि निचली अदालतो में किसानो के साथ जो छल-कपट एंव धोखाधड़ी कर करोड़ो रूपये के इस अवैध व्यवसाय पर अंकुश लगाने की मांग अधिवक्ता अनुपम गढ़ेवाल ने की है।

अनुपम गढ़ेवाल (अधिवक्ता)
मेनरोड गुलाबरा, छिंदवाड़ा
मो० नं० 9424356538

छिंदवाड़ा
दिनांक 20/12/24

[signature] 20/11/24

प्रति,

1. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, छिन्दवाड़ा

2. श्रीमान डी0एस0पी0 महोदय,
हरिजन कल्याण थाना, पुलिस लाईन छिन्दवाड़ा

विषय :- **जतिन अरोरा ने मेरे साथ छलकपट कर धोखाधड़ी की है एवं मेरे स्वामित्व का ट्रेक्टर जो कि, मैंने महिन्द्रा स्वराज ट्रेक्टर से ऋण लेकर स्वीकृत कराया था उक्त ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जानबूझकर नहीं बनाया और उक्त मेरे स्वामित्व का ट्रेक्टर गायब करके किसी को विक्रय कर दिया है, जतिन अरोरा के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम एवं धोखाधड़ी एवं छलकपट का प्रकरण दर्ज करने के विषय में।**

महोदय जी,

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत निवेदन है कि, मैं ब्रजकुमार नागवंशी उम्र 30 वर्ष पिता श्री द्वारका नागवंशी निवासी- ग्राम तुमड़ी उरधन तह0 परासिया जिला छिन्दवाड़ा का निवासी हूँ, मैंने एल0एन0टी0 फायनेंस लिमिटेड से 4,22,000/- (चार लाख बाईस हजार) रूपये का ऋण लेकर महिन्द्रा स्वराज ट्रेक्टर फायनेंस कराया एवं नगद 60,000/- (साठ हजार रूपये) भुगतान किये थे, उक्त ट्रेक्टर मैंने वर्ष 2017 में लिया था, एवं एक किशत अदा ना करने पर उक्त ट्रेक्टर मैंने मेहतर नागवंशी निवासी-झिरपानी से लिया था और मेरा जतिन अरोरा से कोई सरोकार नहीं है, उक्त चैक मैंने एल0एन0टी0 फायनेंरा को जो कोरे चैक दिये थे, उक्त चैक जतिन अरोरा ने प्राप्त करके मेरे साथ छलकपट कर लिया है जो मैंने स्वराज ट्रेक्टर लिया है जिसका चैचिस नं0-WYTM 3040 5141539 एव इंजन नं0- 39 1354/SWL 15012 है, उक्त वाहन के लिए मुझसे परिवहन शुल्क 25,000/-

—02—

रूपये नगद लिये थे और उक्त वाहन मुझसे एक किश्त अदा ना करने पर मुझसे वह छीनकर गुंडागर्दी करके लेकर चले गये जबकि मैंने कभी भी जतिन अरोरा से कोई सौदा नहीं किया उसके बाबजूद भी जतिन अरोरा ने छलकपट कर एवं धोखाधड़ी करने की नियत से शानू ऑटोमोबाईल्स के नाम से चैक 1,34,422/– (एक लाख चौतिस हजार चार सौ बाईस रूपये) का लगा दिया है, जबकि मैं दिनांक–19/11/2024 को शानू ऑटोमोबाईल्स अपना ट्रेक्टर मांगने गया और कहा कि, मात्र कुछ ही पैसे देने है लेकिन जतिन अरोरा ने मेरा ट्रेक्टर मुझसे बिना सहमति के अन्य किसी को बिक्री कर दिया है, एवं 1,34,000/– (एक लाख चौतिस हजार रूपये) का झूठा केस भी लगा दिया है, जबकि मैंने उक्त ट्रेक्टर झिरपानी के मेहतर नागवंशी से खरीदा है, जतिन अरोरा ने मेरे स्वामित्व के ट्रेक्टर के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अन्य किसी को नया ट्रेक्टर बताकर बेच दिया है, और मैंने उक्त ट्रेक्टर के दस्तावेज मांगे तो वह मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर धमकी दे रहा है जिसकी वजह से मैं अत्याधिक भयभीत हो गया हूँ और मेरी जान को अत्याधिक खतरा है।

मैं अनुसूचित जाति का हूँ और जतिन अरोरा सामान्य वर्ग से आता है जिसने मेरी जाति का फायदा उठाकर मेरा आर्थिक एवं शारीरिक शोषण कर मुझसे धोखाधड़ी कर छलकपट किया है एवं मेरे नाम से परिवंहन विभाग में कोई पंजीयन ना होने की वजह से उक्त मेरे पुराने ट्रेक्टर को अन्य किसी को बिक्री कर दिया है, मैंने अपने स्तर पर मेरा एक ट्रेक्टर स्वराज 735 का आसपास पता किया एवं परिचितों से पूछताछ किया उसकी जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहीं है और जतिन आरोरा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मुझे क्षति पहुँचाकर मुझसे जबरदस्ती 1,34,422/– रूपये का झूठा चैक का केस लगाकर दबाव बना रहा है, उक्त ट्रेक्टर की आर0सी0 पर आकर हस्ताक्षर करो तभी केस वापिस लूँगा इस प्रकार से मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है।

अतः माननीय महोदय जी से प्रार्थना है कि, जतिन अरोरा ने मेरे साथ छलकपट कर धोखाधड़ी है एवं मुझे जातिगत रूप से अपमानित कर अभद्रता करके मेरा आर्थिक शोषण कर मेरे स्वामित्व के ट्रेक्टर अन्य किसी को बेच दिया है मैं चाहता हूँ कि, जतिन अरोरा के विरूद्ध छलकपट एवं धोखाधड़ी का अपराध कायम कर एवं अनुसूचित जाति के अन्तर्गत अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कृपा करें।

छिन्दवाड़ा

दिनांक :–20 / 11 / 2024

ब्रजकुमार

आवेदक

ब्रजकुमार नागवंशी पिता द्वारका नागवंशी,

निवासी– ग्राम तुमड़ी तह0 परासिया

जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

मो0नं0– 9993303188